

पत्र सं०:अपर आयुक्त (पुलिस)//पुलिस कर्मी चल अचल सम्पत्ति विवरण // 2024-25 // 417 //राज्य कर  
कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ  
(पुलिस-कैम्प)

दिनांक :: लखनऊ :: 30 जनवरी,2025

**समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ।**

कृपया मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के पत्र संख्या- डीजी-2/अ-76(1)/2025(चल अचल सम्पत्ति) दिनांक- जनवरी,2025 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस कर्मियों का 2024-25 का चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-24 के अनुसार दिनांक 31-01-2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य से अपलोड किये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

समसंदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने जोन में सम्बद्ध पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर दें कि वे दिनांक 31-01-2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल(e-HRMS) पर नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-यथोपरि ।

(प्रकाश स्वरुप पाण्डेय)

आई०पी०एस०

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या: व दिनांक: उक्त ।**

प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त(आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

सेवा में,

- 1- पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक सी०बी०सी०आई०डी०/अभिसूचना मुख्यालय/मानवाधिकार/उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड/प्रशिक्षण निदेशालय/उ०प्र०पुलिस मुख्यालय/सतर्कता अधिष्ठान/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/खाद्य प्रकोष्ठ/एस०आई०टी०/एस०आई०टी०/एस०आई०वी० (सहकारिता)/एस०टी०एफ०/ए०टी०एस०/यू०पी०-112/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन-1090/रेलवे/तकनीकी सेवाएं/सुरक्षा मुख्यालय/यातायात निदेशालय/विशेष जांच प्रकोष्ठ/उ०प्र०पावर कॉर्पोरेशन/महिला सहायता प्रकोष्ठ/ई०ओ०डब्लू०/पीएसी मुख्यालय, उ०प्र०।
- 2- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 3- पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी/प्रयागराज/आगरा/गाजियाबाद।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जी०एस०ओ०, उ०प्र०।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ।
- 6- पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ०प्र०।
- 7- आयुक्त, व्यापार कर, उ०प्र०।
- 8- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 9- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी, उ०प्र०।
- 10- समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी उ०प्र०।

विषय- मानव सम्पदा पोर्टल (e-HRMS) पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में।

अपर उपपुत्र (प्रतिनिधि)

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-5 उ०प्र० शासन के पत्रसंख्या-614/सैंतालीस-का-5-2024-(1838120) दिनांक 17.12.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य कर्मचारियों द्वारा वर्ष-2024 का चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-24 के अनुसार दिनांक 31.01.2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य से प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में है। वर्ष 2024 का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने की सुविधा दिनांक 01.01.2025 से क्रियाशील हो जायेगी।

2- प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए यह भी अवगत कराया जाये कि पोर्टल पर दिनांक 31.01.2025 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत न किया जाना प्रतिकूल रूप में लिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में दिनांक 01.02.2025 एवं उसके पश्चात होने वाली विभागीय चयन समितियों में की बैठक में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरण में विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियम-7 अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जिन विभागों/कार्मिकों को पोर्टल पर अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की गयी थी उन्हें प्रदान की गई छूट अगले आदेशों तक जारी रहेगी।

4- अतएवं अनुरोध है कि कृपया शासन की अपेक्षानुसार अपने अधीनस्थ तैनात उ०प्र० सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के समस्त अधिकारियों को दिनांक 31.01.2025 तक धारित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण भौतिक रूप से इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(नीरा रावत)

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन  
उत्तर प्रदेश।